भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1000

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना

1000. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3.5 बिस्तरों के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से अत्यंत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में वर्तमान जनसंख्या - बिस्तरों के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में रोगी-चिकित्सक अनुपात, रोगी-नर्स अनुपात, बिस्तर- जनसंख्या अनुपात में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं और केन्द्र-राज्य योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस 2022) के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 बिस्तर के प्रावधान की सिफारिश की गई है। आईपीएचएस मानकों के अनुसार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी), 20,000 से 30,000 की आबादी को कवर करने के लिए 6 इनडोर/ऑबजरवेशन बेड, 80,000-1,20,000 की आबादी को कवर करने के लिए 30 बेड के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,00,000-5,00,000 की आबादी को कवर करने के लिए 31-100 बेड वाले उप-जिला अस्पताल और 30,00,000 तक की आबादी को कवर करने के लिए 101-500 बेड के साथ जिला अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 (आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन), जिसे पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के रूप में जाना जाता था, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य देखभाल प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर बताता है कि दिनांक 31.03.2023 तक भारत में

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 8,18,661 बेड थे।

उपलब्ध बेड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक में दिया गया है।**

यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अस्पतालों में बेडें की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देकभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

पीएम-**आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन**(पीएम-एबीएचआईएम): योजना के केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के तहत, 621 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक(सीसीबी) की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ज़िला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में 100 और 50-बेड वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) हेतु 18,799.21 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र के घटक के तहत, 12 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 150 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II (ईसीआरपी-II): "भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज": चरण II की लागत 23,123 करोड़ रुपये है। ईसीआरपी-II में केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के घटक शामिल हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) में केन्द्रीय अंश के साथ-साथ राज्यों का भी अंश शामिल है। एनएचएम के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित घटकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर दी जाने वाली सहायता शामिल है जिसमें एनएचएम में यथा लागू राज्य अंश है। ईसीआरपी-II के तहत, कोविड-19 महामारी के दौरान बेडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मेडिकल कॉलेजों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित मंजूरी दी गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जिला अस्पतालों और उप-मंडल अस्पतालों के कुल 37,834 बिस्तर वाले आईसीयू जिनमें 9,873 बेड वाले बाल चिकित्सा आईसीयू, 7,008 बेड वाले बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता, तथा मेडिकल कॉलेजों के 20,953 वयस्क आईसीयू बेड शामिल हैं।

पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों में (50 बेड वाले) 26 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) ।

15वें वित्तीय आयोग (एफसी-XV): पंद्रहवें वित्तीय आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिये स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। एफसी XV स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के तहत, 2673 पीएचसी एएएम ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3581.47 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के उन्नयन की 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना- देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं।

अब तक, 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों पद्धतियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 39.40 लाख नर्सिंग कार्मिक हैं और 80% को सक्रिय मानते हुए नर्स का जनसंख्या अनुपात प्रति हजार 223 है। देश में नर्सिंग कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 806 सरकारी संस्थानों सहित 5310 नर्सिंग संस्थान हैं जो सालाना लगभग 3.82 लाख नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करते हैं।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में निधियों का तीन वर्षों का बजट आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (बीई)
1	2022-2023	83000.00
2	2023-2024	86175.00
3	2024-2025*	87656.90
4	2025-2026	95957.87

*31.03.2025 तक वास्तविक आकड़े

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार द्वारा निर्गत राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय निर्गम
1	2021-2022	27,447.56
2	2022-2023	31,278.84
3	2023-2024	33,042.62
4	2024-2025	36,529.14

जैसा कि उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एमओएचएफडब्ल्यू के तहत सबसे बड़ी सीएसएस योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए बजटीय आवंटन में साल दर साल लगातार वृद्धि हुई है।

यह देश भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

अनुलग्नक-I

भारत में पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच और मेडिकल कॉलेजों में बिस्तर की संख्या (ग्रामीण + शहरी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2023 तक)				
		पीएचसी	सीएचसी	उप जिला/उपमण्डलीय अस्पताल	जिला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज
1	आंध्र प्रदेश	8712	6400	5400	2600	12583
2	अरुणाचल प्रदेश	397	594	लागू नहीं	1151	350
3	असम	3166	6218	844	3677	9343
4	बिहार	5596	8039	2459	4575	7251
5	छत्तीसगढ़	5015	6726	629	3542	4458
6	गोवा	183	210	253	600	1342
7	गुजरात	9422	11167	4492	3257	17899
8	हरियाणा	2183	3079	1581	3647	3660
9	हिमाचल प्रदेश	1005	969	3665	1924	2632
10	झारखंड	1229	3647	534	3215	2900
11	कर्नाटक	15112	6500	14530	6174	13712
12	केरल	5727	6371	8347	15113	7175
13	मध्य प्रदेश	8640	10590	9721	16650	5850
14	महाराष्ट्र	18276	15004	7903	4108	16998
15	मणिपुर	420	365	10	551	1449
16	मेघालय	1127	867	40	1960	594
17	मिजोरम	655	240	70	903	500
18	नागालैंड	706	325	लागू नहीं	1017	लागू नहीं
19	ओडिशा	1501	6290	1946	7288	9291
20	पंजाब	1688	3711	2509	3931	3160
21	राजस्थान	13866	23820	2500	9474	17131
22	सिक्किम	257	28	लागू नहीं	400	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	10025	12582	21978	7695	29888
24	तेलंगाना	4662	3320	5400	2270	5960
25	त्रिपुरा	918	630	900	1260	727
26	उत्तराखंड	2111	1699	2035	1511	1850
27	उत्तर प्रदेश	13548	26157	लागू नहीं	22812	14726
28	पश्चिम बंगाल	7640	11205	13110	7599	25086
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230	210	लागू नहीं	220	700
30	चंडीगढ़	23	120	100	527	3096
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	177	132	100	240	589
32	दिल्ली	12	लागू नहीं	431	9789	12060
33	जम्मू और कश्मीर	3955	2769	लागू नहीं	1862	5420
34	लद्दाख	320	190	लागू नहीं	370	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	40	90	70	50	लागू नहीं
36	पुडुचेरी	185	120	लागू नहीं	1853	2794
	अखिल भारतीय/कुल	**148729**	**180384**	**111557**	**153815**	**224176**

नोट: *लागू नहीं - लागू नहीं*

*****